भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
कार्यालय आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर
एनसीआरबी, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर

प्रेस विज्ञप्ति

16th जुलाई, 2018

व्यापार मे सुविधा हेतु कई उपयोगी कार्य जयपुर मे सीमा शुल्क आयुक्तालय के द्वारा किए जा रहे है । इस दिशा मे अपने प्रयासो को जारी रखते हुए यह आयुक्तालय आईजीएसटी रिफंड के लिए विशिष्ट शिविरो का आयोजन दिनाक 16 जुलाई, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक इस आयुक्तालय के सभी पोर्टस पर आयोजित कर रहा है।

बेमेल इनवाइस (मिसमैच इनवाइस), लोकल ईजीएम से सबन्धित त्रुटि (त्रुटि कोड एसबी002), गेटवे ईजीएम से सबन्धित त्रुटि (त्रुटि कोड एसबी006), अमान्य जीएसटीएन आई.डी. (त्रुटि कोड एसबी003) एव ऐसे मामले जहॉ जीएसटीएन से डाटा सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम्स मे प्रेषित नही हुआ है से सबधित मुद्दो के लिए इस विशिष्ट रिफंड शिविर मे विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी व्यापारियो एव निर्यातको का ध्यान सीबीईसी परिपत्र स. 12/2018-सीमा शुल्क दिनाक 29.05.2018 एव आईसीईएस(ICES) एडवाइजरी 22/2018 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमे 'ऐसे मामले जहॉ जीएसटीएन से डाटा सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम्स मे प्रेषित नही हुआ है' के सुधार के लिए अनुपालन प्रक्रिया का विवरण दिया गया है ।

इस विशिष्ट शिविर का आयोजन सबधित बदरगाहो के दैनिक आईजीएसटी रिफंड कैपो के अलावा किया जा रहा है जिसमे विशेष रूप से बेमेल इनवाइस (मिसमैच इनवाइस) से सबन्धित त्रुटि (त्रुटि कोड एसबी005), त्रुटि 'M'-ट्रक विवरण मे वर्णित गेटवे पोर्ट कोड का वास्तविक गेटवे पोर्ट से भिन्न होना (त्रुटि कोड एसबी005), L- LEO दिनाक> नौकायन तिथि (त्रुटि कोड एसबी005), लोकल ईजीएम से सबन्धित त्रुटि (त्रुटि कोड एसबी002), गेटवे ईजीएम से सबन्धित त्रुटि (त्रुटि कोड एसबी006), अमान्य जीएसटीएन आइ.डी. (त्रुटि कोड एसबी003) एव 'ऐसे मामले जहॉ जीएसटीएन से डाटा सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम्स मे प्रेषित नही हुआ है' का निवारण किया जायेगा । ऐसे मामले जहॉ जीएसटीएन से डाटा सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम्स मे प्रेषित नही हुआ है तथा एसबी005 तथा एसबी006 त्रुटि वाले मामलो की सूची विभाग की वेबसाइट **rajasthancustoms.gov.in** पर उपलब्ध है ।

सभी निर्यातको से अनुरोध है कि आईजीएसटी रिफंड के शीघ्र भुगतान के लिए विशिष्ट आइजीएसटी रिफंड शिविर की सुविधा का उपयोग करे। सबद्ध निर्यातक बोर्ड परिपत्र स 12/2018-सीमा शुल्क दिनाक 29.05.2018 एव आईसीईएस(ICES) एडवाइजरी 22/2018 मे वर्णित दस्तावेजो के साथ स्वय या अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से शिविरो मे उपस्थित हो सकते है।

16/7/18

(एम. ए. असारी)
अपर आयुक्त